



2026:AHC-LKO:41668 -DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5457 वर्ष 2026

महेश @ महेश कुमार एवं 2 अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ एवं 5 अन्य

.....विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता	: परशु राम कनौजिया, आर.आर. देव
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.),

न्यायालय सं. - 2माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानियामाननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. इस याचिका के माध्यम से दिनांक 26.05.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या 037 वर्ष 2026, धारा 115(2), 118(1), 191(2) एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत थाना चंदापुर, जनपद रायबरेली में पंजीकृत है, को निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2. हमने याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु का अवलोकन किया है। याचीगण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बी.एन.एस.एस. की धारा 35 में निहित प्रावधानों के लाभ के अधिकारी हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क के समरूप हैं।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि कथित रूप से किए गए अपराधों में सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान है तथा पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35, जिसमें धारा 35 की उपधारा (3) से उपधारा (6) तक के प्रावधान भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत विहित रीति, पद्धति एवं प्रक्रिया का पालन करेगी। ऐसी परिस्थितियों में, विवेचक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

4. यह इंगित करना समीचीन होगा कि इसी प्रकार के प्रावधान अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क का संज्ञान लेते हुए, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एस सी सी 273** के मामले में निम्नवत् अभिकथित किया है।

5. हमने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के पक्ष पर विचार किया है। **अर्नेश कुमार** के मामले (उपर्युक्त) में निम्नलिखित (प्रासंगिक अंश) अभिनिर्धारित किया गया है:-

“9. एक अन्य प्रावधान, अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क, जिसका उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी अथवा अभियुक्त पर मंडरा रहे गिरफ्तारी के खतरे से बचाना है, को प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दंड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2009) की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 41-क, जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है, निम्नवत् है:-

“41-क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना।-

(1) ऐसे सभी मामलों में, जहाँ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त शिकायत की गई है, अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, अथवा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, अपने समक्ष अथवा सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।”

(2) जब किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है, तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त सूचना में निहित शर्तों का अनुपालन करे।

“(3) जहाँ ऐसा व्यक्ति उक्त सूचना का अनुपालन करता है और उसका अनुपालन करता रहता है, वहाँ उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(4) जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी भी समय उक्त सूचना में निहित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं है, वहाँ पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।

“उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे सभी मामलों में, जहाँ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अधीन आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी के लिए अभियुक्त को किसी विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करना आवश्यक है। विधि ऐसे अभियुक्त पर पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का दायित्व अधिरोपित करती है तथा यह भी अधिदेशित करती है कि यदि ऐसा अभियुक्त सूचना की शर्तों का अनुपालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में परिकल्पित गिरफ्तारी की पूर्वापेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है और गिरफ्तारी भी पूर्वोक्तानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा उसी संवीक्षा के अधीन होगी।”

6. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को भी ध्यान में रखते हुए कि राज्य की ओर से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए उपर्युक्त रुख के दृष्टिगत वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जा सकता है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार** (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणी, जिसके प्रासंगिक अंश को उपर्युक्त उद्धृत किया गया है, को दृष्टिगत रखते हुए, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि पुलिस प्राधिकारी बी.एन.एस.एस. की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार ही मामले में कार्यवाही करेंगे, जिसमें गिरफ्तारी के लिए रीति, तरीका एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रावधान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार** (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित एवं स्पष्ट की गई दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41-A के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

दिनांक : 18 जून, 2026

के.के.वी./

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।